भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 186

उत्तर देने की तारीख 01 दिसंबर, 2025

10 अग्रहायण, 1947 (शक)

रोजगारोन्मुखी कौशल और रोजगार के अवसरों का विकास

186. श्री तारिक अनवर:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटिहार जैसे अत्यंत पिछड़े जिलों में युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) सरकार द्वारा बिहार में 'खेलो इंडिया' के अंतर्गत नए स्टेडियमों, जिला स्तरीय खेल अकादमियों और खुले मैदानों को विकसित करने के लिए किस प्रकार की समय-सीमा पर कार्य किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का बिहार सरकार के समन्वय से युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक व्यापक नीति लाने का विचार है ताकि इस संकट का स्थायी समाधान निकाला जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी हाँ। सरकार रोजगारोन्मुखी कौशल विकसित करने और कटिहार जैसे अत्यंत पिछड़े जिलों सहित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई विशेष स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करके लागू कर रही है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत नामक स्वायत्त निकाय का मेरा युवा भारत पोर्टल युवाओं के लिए सॉफ्ट स्किल विकास को बढ़ावा देने हेतु डाकघर, जन औषधि केंद्रों और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इक्स्पिरिएन्शल लर्निंग प्रोग्राम (ईएलपी) प्रदान करता है। वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के तहत "व्यावसायिक प्रशिक्षण - सफलता के लिए कौशल" कार्यक्रम रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सॉफ्ट स्किल, संचार कौशल और जीवन कौशल पर केंद्रित है। राजीव गांधी

राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) जीवन कौशल, नेतृत्व, क्षमता निर्माण, शैक्षणिक कार्यक्रमों और प्लेसमेंट सहायता में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी रोजगार सृजन स्कीम लागू कर रही है।

स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के तहत, युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस) जैसी स्कीमों के ज़रिए स्किल, री-स्किल और अप-स्किल ट्रेनिंग के मौके मिलते हैं। बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री पैकेज का उद्देश्य पांच वर्ष की अवधि के दौरान युवाओं के लिए रोज़गार और कौशल के अवसरों की सुविधा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल रोजगार मैचिंग, कैरियर परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जबकि नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना (एस्पायर) आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता में मदद करती है।

(ख) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, खेलो इंडिया स्कीम के तहत स्वीकृत बुनियादी परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा उसकी मंजूरी की तारीख से दो साल है।

(ग) और (घ): बिहार सरकार के समन्वय से नीति बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। युवा सशक्तिकरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय युवा नीति 2025' का मसौदा प्रक्रियाधीन है जिसे युवाओं के विकास के लिए कार्यक्रमों और पहलों का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचे के लिए लक्षित किया गया है। तथापि, खेल विभाग ने 1 जुलाई, 2025 को 'खेलो भारत नीति' की घोषणा की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खेलों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इसका विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

*****